

श्री राजेश कुमार, भा०प्र००से०, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 20.10.2014 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :-

यथा पंजी के अनुसार।

समीक्षापरान्त बैठक में निम्न निदेश दिये गये :-

- ☛ खाद्यान्न उठाव एवं वितरण :- समीक्षा के क्रम में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि डोर स्टेप डिलेवरी के तहत् अगस्त माह में 98.01% एवं सितम्बर माह में 24.12% वितरण हुआ है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वितरण संबंधी शत-प्रतिशत प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से शत-प्रतिशत वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ को दिया गया। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि पंचायत/वार्ड सतर्कता समिति से शत-प्रतिशत वितरण का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, जोकि निन्दनीय है। चुंकी विगत सभी बैठकों में इस हेतु निर्देशित किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवलोकनार्थ उपस्थापित कतिपय सतर्कता समिति के प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोंपरान्त यह पाया गया कि अधिकांश प्रमाण पत्रों में पंचायत के पराजित मुखिया/सरपंच का हस्ताक्षर नहीं रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि वितरण कार्य में स्वच्छता एवं पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जो अत्यंत ही दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे।
- जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत/वार्ड सतर्कता समिति से प्राप्त प्रमाण पत्र में पंचायत के पराजित मुखिया एवं सरपंच का हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करायेंगे और पंचायतवार/वार्डवार सतर्कता समिति से प्राप्त प्रमाण पत्र को रक्षी संचिका में अभिरक्षित कर अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।
- समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि उपस्थापित प्रतिवेदन में भंडार निर्गमन आदेश (S.I.O.) का लक्ष्य हर माह में भिन्न-भिन्न है। जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं है। बैठक में बताया गया कि विगत माह में कोई भी जनवितरण प्रणाली के दुकानदार को निलंबित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में S.I.O. की संख्या में भिन्नता यह दर्शाता है कि S.I.O निर्गत करने में लापरवाही बरती जा रही है।
- पूर्व के सभी समीक्षात्मक बैठकों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को नियमित एवं शत-प्रतिशत उठाव एवं शत-प्रतिशत वितरण का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु उक्त कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं हुआ है, जो खेदजनक स्थिति है। आपूर्ति पदाधिकारी सुधार लायें अन्यथा दायित्व निर्धारण का कार्रवाई की जायेगी।
- ☛ निर्वाचन :- समीक्षा के क्रम में उपनिर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि कुल 23 बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में से 04 पदाधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर हेतु प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उपनिर्वाचन पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 21.10.2014 तक लम्बित सभी डिजिटल हस्ताक्षर का भरा हुआ प्रपत्र प्राप्त कर बेल्ट्रॉन को भेजना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचक सूची प्रबंधन पद्धति (E.R.M.S.) का डाटा अपलोड की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि E.R.M.S. का शत-प्रतिशत डाटा सॉफ्टवेयर में अभीतक अपलोड नहीं हुआ है, जिसे यथाशीघ्र सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का निदेश उपनिर्वाचन पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया गया। निर्वाचन से संबंधित कई कार्य तय समय-सीमा के अन्दर निष्पादित किया जाना अनिवार्य होता है, परन्तु ऐसा पाया जाता रहा है कि तय समय-सीमा के अन्दर प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र आदि नहीं भेजा जाता है। जिसके कारण असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उपनिर्वाचन पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी निर्वाचन को निदेश दिया जाता है कि इस तरह के पत्र जिसका निष्पादन समय-सीमा के अन्दर किया जाना है, उसका प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगे, और ससमय संचिका उपस्थापित कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिवेदन अगर निम्न कार्यालय से संबंधित हो तो तय समय-सीमा से पूर्व ही संबंधित कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। प्रतिवेदन समय-सीमा के अन्दर प्राप्त नहीं होने पर तुरंत संचिका उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

- ☞ **एम०जे०सी०/सी०डब्ल०जे०सी०** :- समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि सम्प्रति 05-एम०जे०सी० वाद कारणपृच्छा दायर करने हेतु लम्बित है, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित एम०जे०सी० का तथ्य विवरणी अनुमोदनार्थ प्राप्त हुआ है। शेष 04 एम०जे०सी० में से 01-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी, 02-जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ एवं 01-जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ के यहाँ लम्बित हैं। पूर्व के बैठक में भी एक सप्ताह के अन्दर सभी लम्बित एम०जे०सी० का तथ्य विवरणी अनुमोदित कराने का निदेश दिया जा चुका है, परन्तु स्थिति यथावत है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पूर्णियाँ/जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि स्मार की प्रतीक्षा किए बिना आगामी साप्ताहिक बैठक से पूर्व ही तथ्य विवरणी अनुमोदित कराकर कारण पृच्छा दायर कराना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सम्प्रति 85-C.W.J.C. का मामला प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लम्बित है। जोकि अत्यधिक है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि लम्बित वाद से संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर तथ्य विवरणी अनुमोदन हेतु भेजने का निदेश निर्गत करेंगे। उन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, जिन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु स्मार/दूरभाष पर सूचना दी गई है।

- ☞ **आपदा** :- जिला आपदा प्रबंधन से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न मर्दों में उपावंटित किए गए राशि का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगित प्रमाण पत्र/डी०सी० विपत्र संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त किया जाना है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अभिसूचि लेकर लम्बित उपयोगित प्रमाण पत्र/डी०सी० विपत्र एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
- ☞ **भूमि बेदखली अभियान** :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भूमि बेदखली अभियान के तहत् प्रगति से संबंधित कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। समीक्षा के क्रम में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भू-हदबंदी के तहत् अधिशेष भूमि/भूदान से संबंधित जमीनों पर दखल दिलाने हेतु अनुमंडलवार लम्बित मामला तैयार कर लम्बित मामलों का निष्पादन अपर समाहर्ता, पूर्णियाँ के पर्यवेक्षण में करना सुनिश्चित करेंगे।

- ☞ बिहार भूमि प्राधिकरण (B.L.T.) :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार भूमि प्राधिकरण से संबंधित सम्प्रति 18 वाद निष्पादन हेतु लम्बित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा को निदेश दिया गया कि लम्बित वाद से संबंधित अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को त्वरित निष्पादन हेतु निदेश देते हुए लम्बित वादों को निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- ☞ समेकित बाल विकास कार्यक्रम :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण का समुचित पर्यवेक्षण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के स्तर से नहीं किया जा रहा है तथा निरीक्षण की स्थिति असंतोषजनक है। आगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में अत्यधिक शिकायत प्राप्त हो रही है। किन्तु जिला प्रोग्राम कार्यालय के स्तर से न तो कार्रवाई की जा रही है और न तो संचिका उपस्थापित की जा रही है। जो कि चिंताजनक है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी विगत 03 माह में आंगनवाड़ी केन्द्र/पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन आगामी समीक्षा बैठक में उपलब्ध करायेंगे।
- ☞ लोक सेवा अधिकार अधिनियम (R.T.P.S.) :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आर0टी0पी0एस0 कार्यों का नियमित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है। जिसके चलते स्टेट रैंकिंग प्रभावित होता है, जो अत्यंत ही दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिसके तहत् आम नागरिकों को बिना किसी कठिनाई का समय-सीमा के अन्दर सेवा उपलब्ध कराना है। समय पर सेवा प्रदान नहीं करने की शिकायतें निरन्तर प्राप्त होती हैं। जिसे दूर करना नितान्त आवश्यक है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से सभी अंचलों/प्रखंडों में आर0टी0पी0एस0 कार्यों का निरीक्षण कर Expired आवेदन पत्रों के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों को अधिनियम में विहित दण्ड के आलोक में आर्थिक दण्ड देना सुनिश्चित करेंगे। इसमें लापरवाही/शिथिलता बरते जाने पर अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।
- ☞ महादलितों के लिए क्रय किए गए जमीन का भौतिक सत्यापन :- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद भी महादलितों के लिए क्रय किये गये जमीन एवं उक्त जमीन पर उनके द्वारा बनाए गए घर का भौतिक सत्यापन करते हुए लाभकों के सहित घर का फोटोग्राफ लेकर गुगल साईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की प्रगति नगण्य है। अतः सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी महादलितों को उपलब्ध कराए गए जमीन का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ गुगल साईट पर अपलोड करेंगे। जिला आई0टी0 प्रबंधक को निदेश दिया गया कि गुगल साईट पर अपलोड किए गए फोटो को नियमित रूप से डाउनलोड कर अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे।
- ☞ समाजिक सुरक्षा :- समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत चल रहे विभिन्न योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक शत-प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निदेश दिया गया कि लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों/अन्य पदाधिकारियों को मुख्यालय में शिविर आयोजित कर सभी लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कराने की कार्रवाई करेंगे। इस कार्य के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

